न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 121/2008

1 नौरंगलाल दतक पुत्र खुमाराम जाति ब्राह्मण निवासी भीकमसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मु. धापी पुत्री खुमाराम पत्नी गोरूराम जाति ब्राह्मण निवासी भीकमसर हाल चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर
2 मु. श्यामना देवी (फौत)
2/1 पाना पुत्री श्याना पत्नी नन्दलाल शर्मा निवासी ठठावता तहसील फतेहपुर जिला सीकर
2/2 भंवरलाल उर्फ बीकू पुत्र श्याना
2/3 सुरेश पुत्र श्याना
2/4 रणजीत पुत्र श्याना
जाति ब्राह्मण निवासीगण कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर
2/5 किसना पुत्री श्याना पत्नी मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुर जिला सीकर राज.।
3 किशनलाल पुत्र गोरीदतक
4 रामगोपाल पुत्र गोरदतक
जाति ब्राह्मण निवासी चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
5 मदनलाल पुत्र झाबरमल जाति ब्राह्मण निवासी भीकमसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
6 तहसीलदार तहसील फतेहपुर प्रतिनिधि राज्य सरकार।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2008
अदालत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर मु.नं. 117/2003
बउनवानी नौरंगलाल बनाम मु. धापी आदि।

उपस्थिति :

1. श्री श्रवण फगेड़िया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 117/2003 में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/अपीलांट ने एक वाद उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा बाबत भूमि खसरा नम्बर 31, 63/1, 73 वाके भीकमसर तथा खसरा नम्बर 114 वाके माण्डेला बड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तनकी नम्बर 1 को वादी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित कर दिया कि वादी स्व. खुमाराम का दत्तक पुत्र होने के कारण वाद पत्र की मद नम्बर 2 में दर्ज भूमियों के 1/2 हिस्सा का खातेदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

काबिज काश्तकार है तथा विक्रय पत्र दिनांक 11.07.84 जो प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 को करवाये है वे प्रभावहीन व शून्य है लेकिन विचारण न्यायालय तनकी नम्बर 1 को इसलिए साबित नही माना कि वादी ने कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया तथा वादी ने अपने अभिवचनों में भी गोद दिये जाने व लिए जाने का स्पष्ट कथन नहीं किया। इस निष्कर्ष पर पहूचने से पहले विचारण न्यायालय ने इस बात का गौर नहीं किया कि गोद पुत्र होने के लिए गोदनामा होना आवश्यक नहीं है। हिन्दू दत्तक एंव भरण पोषण अधिनियम में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि गोद पुत्र होने के लिए गोदनामा होना आवश्यक है इसके आलावा तनकी नम्बर 1 यह नहीं है कि क्या वादी स्व खुमाराम का दत्तक पुत्र है उक्तप्रकार की तनकी कायम न होने के बावजूद भी वादी को गोद पुत्र न मानने में भूल की है तथा वादी ने अपने अभिकथनों में स्पष्ट कथन किया है कि वादी को स्व. खुमाराम ने वादी को बचपन में ही गोद रख लिया था जिसमें मु. लिछमा दत्तक माता की भी पूर्ण सहमति थी। वादी ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 3, 4, 5, 6 पेश किये है जिन्हे मात्र इस आधार पर विचारण न्यायालय ने नहीं माना कि उक्त दस्तावेजात दावा पेश करने के बाद के है। वादी के जायंदा पिता की मृत्यु के ाद विरासती नामान्तकरण में वादी की जानकारी बिना पटवारी हल्का द्वारा वादी का नाम जोड़ देने मात्र से वादी का दत्तक जाना समाप्त नहीं हो जाता है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वादी के जायंदा पिता की मृत्यु पर विरासती नामान्तकरण वदी ने अपने नाम खुलवाया हो। वादी को बचपन में ही उसके जायंदा माता पिता से दत्तक माता पिता ने गोद लिया था तथा जायंदा माता पिता ने गोद दिया था तथा जिसमें जायंदा माता व गोद माता से सहमति दी थी तथा वादी के स्कूल में भर्ती होने के बाद गोद दिया था जो वादी के बचपन के ही दिन थे तथा तब से लेकर अब तक वादी अपने दत्तक घर में ही रहता आया है तथा दत्तक घर की संपदाओं पर ही काबिज है। वादी द्वारा अपनी शादी 2020 में एवं पिता की मृत्यु 2014 में हो जाने का कथन करने एवं शादी पिता द्वारा करने के विरोधाभाष के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

कारण वादी का वाद कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता है। वादी की दत्तक माता लिछमी अपनी पुत्रियों प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 बहकावे में थी, जिस कारण जवाबदावा मे गलत कथन किये है जबकि प्रतिवादी नम्बर 3 ने अपने वाद में वादी को गोद पुत्र माना है वादी की दत्तक माता साक्ष्य के समय जिवित रहकर साक्ष्य देने के लिए आती तब ही उसके कथनों की सत्यता की जांच होती। हिन्दू परिवार की कर्ता खानदान कानूनन महिला नहीं हो सकती है तथा उसके द्वारा किये गये विकय या पंजीकृत करवाये गये विकय पत्र की स्थिति कर्ता खानदान द्वारा करवाये गये। विकय पत्र जैसी नहीं होती है तथा मृतक प्रतिवादी नम्बर 1 लिछमी द्वारा किया गया विकय शून्य करणीय नहीं बल्कि शून्य है तथा अधिकार से बाहर का है इसलिए उक्त विकय पत्रों को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाना आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायायय ने तनकी नम्बर 1 को साबित न मानने में भारी भूल की है। वादी के गवाहान की साक्ष्य में एक रूपता है तथा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभाष नहीं होने के बावजूद महत्वपूर्ण विरोधाभाष मानकर वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी को कभी भी स्व. खुमाराम का प्रतिवादी संख्या 1 ने गोद नहीं लिया न वह स्व. खुमाराम की सम्पति पर मु. लिछमी के साथ काबिज है। विवादित भूमियों पर कब्जा व काश्त केवल मात्र प्रतिवादीगण 4 व 5 का है जिन्होंने अपनी काश्त की लाट बाट शान्ति पूर्वक कर ली है। वादी का कहीं भी कोई कब्जा नहीं है। जब वादी का वाद ग्रस्त भूमियों में कोई हक व कब्जा व काश्त ही नहीं है तो फिर बंटवारा करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी ने जो वर्तमान में वाद कर रखा है वह धोखे और छल कपट से भरा है। वादी को कभी भी स्व. खूमाराम व मु. लिछमी ने गोद नहीं लिया और न वह स्व. खुमाराम तथा मु. लिछमी के साथ कभी रहा बल्कि वह अपने पिता झाबरमल के साथ उसी के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

मकानों में ग्राम भीकमसरा में आबाद है। इन तथ्यों की पुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से होती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी साबित नहीं होने पर खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को कभी भी स्व. खुमाराम का प्रतिवादी संख्या 1 ने गोद नहीं लिया न वह स्व. खुमाराम की सम्पति पर मु. लिछमी के साथ काबिज है। विवादित भूमियों पर कब्जा व काश्त केवल मात्र प्रतिवादीगण 4 व 5 का है जिसमें अपनी काश्त की लाट बाट शान्ति पूर्वक करते है। वादी का कहीं भी कोई कब्जा साबित नहीं है। जब वादी का वाद ग्रस्त भूमियों में कोई हक व कब्जा व काश्त ही नहीं है तो फिर बंटवारा करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी को कभी भी स्व. खूमाराम व मु. लिछमी ने गोद नहीं लिया और न वह स्व. खुमाराम तथा मु. लिछमी के साथ कभी रहा बल्कि वह अपने पिता झाबरमल के साथ उसी के मकानों में ग्राम भीकमसरा में आबाद है। इन तथ्यों की पुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से होती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी साबित नहीं होने पर खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपीलीय अधिकारी,
सीकर